राजस्थान–सरकार
मत्स्य विभाग की लाभकारी योजनाएं
सेन्ट्रल सेक्टर योजना–नीली क्रांति

अन्तर्देशीय मत्स्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

1 **मछली पालन हेतु निजी भूमि पर नवीन तालाब निर्माण**
इकाई लागत राशि रूपये 7 लाख प्रति हैक्टयर जल क्षेत्र
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

2 **पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार**
इकाई लागत राशि रूपये 3.50 लाख प्रति हैक्टयर
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

3 **मत्स्य हैचरी 10 मिलियन फ्राई प्रति वर्ष की क्षमता**
इकाई लागत राशि रूपये 25 लाख
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

4 **फिश फीड इकाई की स्थापना**
1 से 5 क्विंटल प्रतिदिन क्षमता
इकाई लागत राशि रूपये 10 लाख
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

5 **कौशल विकास**
प्रशिक्षण निःशुल्क
प्रशिक्षण भत्ता रूपये 300 प्रतिदिन
यात्रा भत्ता रूपये 100 अधिकतम
भोजन/नाश्ता भत्ता रूपये 100 प्रतिदिन

समुद्री मछली का विकास

1 **मीठे (ताजा) पानी में मोती पालनः–**
इकाई लागत राशि रूपये 25 लाख
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

मछुआरा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

1 **सेविंग कम रिलीफ योजना**
सक्रिय मछुआरा सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा 9 माह में कुल रूपये 1500 का योगदान
केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कुल रूपये 3000 का योगदान
निषेध ऋतु (3 माह) के दौरान प्रतिमाह रूपये 1500 का मछुआरों को भुगतान

2 **मछुआरों के लिए आवास सुविधा**
इकाई लागत राशि रूपये 1.20 लाख प्रति आवास
20 आवास समूह हेतु एक ट्यूब वैल राशि रूपये 50 हजार
75 आवास समूह हेतु एक सामुदायिक केन्द्र राशि रूपये 4 लाख
सम्पूर्ण राशि का केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन

3 सक्रिय मछुआरों का दुर्घटना बीमा

प्रिमियम का केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन
मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई विकलांगता पर बीमित राशि रूपये 2.00 लाख काभुगतान
आंशिक स्थाई अपंगता पर बीमित राशि रूपये 1.00 लाख का भुगतान
चिकित्सा पर अधिकतम राशि रूपये 10 हजार तक का पुनर्भरण

पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रेक्चर का विकास

1 आईस प्लान्ट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

इकाई लागत रू0 2.50 लाख प्रति टन अधिकतम राशि रूपये 50 लाख
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

2 रिटेल फिश मार्केट हेतु आधार भूत सुविधाओं का विकास

इकाई लागत राशि रूपये 100 लाख 10 दुकानों के लिये
इकाई लागत राशि रूपये 200 लाख 20 दुकानों के लिये
इकाई लागत राशि रूपये 500 लाख 50 दुकानों के लिये
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

3 मोबाईल/रिटेल आउटलेट (कियोस्क) की स्थापना

इकाई लागत रूपये 10 लाख
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

4 रेफ्रिजरेटेड ट्रक/कन्टेनर 10 टन क्षमता युक्त

इकाई लागत रूपये 25 लाख
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

5 इन्सूलेटेड ट्रक 6 टन क्षमता युक्त

इकाई लागत रूपये 15 लाख
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

6 आटोरिक्शा मय आईस बॉक्स

इकाई लागत रूपये 2 लाख
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

7 मोटर साईकिल मय आईस बॉक्स

इकाई लागत रूपये 60 हजार
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

8 साईकिल मय आईस बॉक्स

इकाई लागत रूपये 3 हजार
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाऐं 60 प्रतिशत अधिकतम।

मछली पालन तथा प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु मत्स्य विभाग के स्थानीय कार्यालयों से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जाकर अपने प्रस्ताव संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते है।